भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *213

(जिसका उत्तर सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

माल और सेवा कर संशोधन

†*213. श्री एम.के. राघवनः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रणाली सहित माल और सेवा कर (जीएसटी) के कुछ प्रावधानों में संशोधन 'नेशनल एंटी-प्रोफिटियरिंग ऑथोरिटी' को कमजोर करने का मार्ग प्रशस्त करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संशोधन केवल रीयल इस्टेट डेवलपरों को सहायता पहुंचाने केलिए बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार के संशोधन का निर्णय स्थापित संस्थाओं की उपेक्षा करना तथा समाधान से कहीं अधिक समस्या पैदा करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

'माल एवं सेवाकर संशोधन' के बारे में दिनांक 08 जुलाई, 2019/आषाढ़ 17, 1941 (शक) को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 213 के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जी नहीं। जीएसटी के कानूनों और नियमों में किए गए किसी भी संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-विरोधी प्राधिकरण (एनएए) को कमजोर करना नहीं रहा है। इसके विपरीत माल एवं सेवाकर परिषद ने 21.06.2019 को हुई अपनी 35वीं बैठक में यह सिफारिश की थी कि एनएए को और भी कारगर बनाया जाना चाहिए जिससे कि यह व्यापार में मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का अपना काम पूरा कर सके। इसमें यह सिफारिश की गई थी कि जो भी कारोबारी माल या सेवाओं की किसी भी आपूर्ति पर कर की की गई कटौती का लाभ या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उसी अनुपात में कीमतों को कम करके ग्राहकों को नहीं देता है तो उसपर इस लाभ की राशि के 10% के बराबर का दण्ड लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद ने यह भी सिफारिश की है कि एनएए का कार्यकाल 2 वर्ष और बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा, अधिसूचना सं. 31/2019, दिनांक 28.06.2019 के द्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 में भी संशोधन किया गया है जिससे किः

(i) एनएए ऐसे किसी भी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए कह सके जिसकी उपस्थिति को यह किसी साक्ष्य को दिए जाने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जरूरी समझता हो और इसको उसी प्रकार जांच करने का अधिकार होगा, जिस प्रकार का अधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय को है
(ii) अब एनएए मुनाफाखोरी-विरोधी महानिदेशक से रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख से 6 महीने के भीतर (इसके पहले 3 महीने) आदेश जारी कर सकता है।
(iii) एनएए वसूल की गई ज्यादा राशि की तारीख से लेकर इस राशि को जमा किए जाने की तारीख तक की अवधि तक 18% की दर से ब्याज वसूले जाने के लिए भी आदेश दे सकता है।
(iv) एनएए मुनाफाखोरी-विरोधी महानिदेशक को यह आदेश दे सकता है कि वह ऐसे अन्य माल या सेवाओं या दोनों के बारे में भी जांच कराये जिनका मुनाफाखोरी-विरोधी महानिदेशक की रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है।

(ख): जी नहीं। उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग): जी नहीं। उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

*****